भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1038**

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

**नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों की मौत**

**+1038. मोती लाल वोरा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी,2009 से दिसम्बर,2014 के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के कितने कार्मिकों की मौत हुई:

(ख) इनमें से कितने जवान अवसाद,दिल का दौरा पड़ने, मलेरिया,आदि कारणों से भरे और कितने नक्सलियों द्वारा मारे गए;

(ग) क्या सरकार विषम परिस्थितियों में काम करने वाले जवानों का मनोबल बढाने के लिए कोई कदम उठाऐगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क) और (ख) : वर्ष 2009 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में शहीद होने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की कुल संख्या 323 है। इसी अवधि के दौरान पूरे देश में अवसाद, ह्रदयघात, मलेरिया से मरने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है-**

| मृत्यु का कारण | हुई मौतों की संख्या |
|---|---|
| अवसाद(आत्महत्या के मामले) | 228 |
| हृदयघात | 642 |
| मलेरिया | 108 |
| वामपंथी उग्रवादी हिंसा | 323 |

(ग) और (घ) : जी, हां। सुरक्षा बलों के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) कार्मिकों द्वारा आवेदित अवकाश समय पर मंजूर किए जाते हैं।

(ii) क्षेत्र अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे कार्मिकों को अपनी समस्याएं/शिकायतें सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

(iii) मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए समुचित अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है।

(iv) अभियान क्षेत्र में तैनात टुकड़ियों को आधुनिकतम हथियार, विशेष उपकरण तथा विभिन्न सुरक्षात्मक कवच उपलब्ध कराए जाते हैं।

(v) दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी) की स्थापना की गई है कि ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों की कल्याण एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं की देखरेख करने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध हो सके।

(vi) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों और उनके परिवारों को सब्सिडी दरों पर विभिन्न उपभोज्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 18.09.2006 को केन्द्रीय पुलिस कैंटीन (सी पी सी) प्रणाली की शुरूआत की गई है।

(vii) पेंशन प्रदान करने के संबंध में 10 वर्ष की अर्हत सेवा का शर्त हटा टी गई है।

(viii) शहीद कार्मिकों को सामान्य अनुग्रह मुआवजे के अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के निशक्त कार्मिकों को भी एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया गया है।

(ix) जोखिम और अन्य प्रतिपूरक भत्ते भी समय पर प्रदान किये जाते है।

(x) प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए केन्दीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व कार्मिकों तथा कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को लड़कों के संबंध में प्रति माह 2000रू. तथा लड़कियों के संबंध में प्रतिमाह 2550रू. की दर से छात्रवृति दी जाती है।